सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

आश्रय

त्रैमासिक न्यूजलेटर

सबका सपना, घर हो अपना

प्रधानमंत्री आवास योजना–
सबके लिए आवास (शहरी)

"प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक सबके लिए आवास के विजन को पूरा करने के लिए एक कदम"

~ नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

खण्ड 2, अंक–4, अक्टूबर–दिसम्बर 2017, नई दिल्ली

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावास दिवस का आयोजन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में ''आवासीय नीतियां : किफायती घर'' विषय पर विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री जी ने राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, दिव्यांग बच्चों आदि को संबोधित किया और सरकार द्वारा संचालित नए शहरी मिशनों अर्थात् प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में बताते हुए कहा कि यह गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती आवास सुनिश्चित करने की प्रमुख योजना है जबकि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसे अन्य मिशनों का उद्देश्य बेहतर पर्यावास के लिए अत्यधिक आवश्यकता वाली बुनियादी अवसंरचना प्रदान करना है ।

उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि सरकार ने आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा विशेषतया लोगों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किफायती आवास जैसी अनेक पहलें की हैं। धीमी प्रगति के बारे में व्याप्त चिंता के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें यह विश्वास है कि भू–संपदा क्षेत्र में पुनः तेजी आएगी और एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र के हित में सरकार विनियामक ढांचे के अंतर्गत इस क्षेत्र को लायी है । एसडीजी–2030 का हवाला देते समय, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत का प्रदर्शन वैश्विक पैमाने पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा । यह नोट करते हुए कि 17 में से 15 एसडीजी शहरी स्थानीय निकायों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने बताया कि सरकार नगर प्रशासन की क्षमताओं में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है

मंत्री जी ने इस अवसर पर ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार भी वितरित किए ।

शहरी मिशनों–पीएमएवाई (शहरी) का तेजी से कार्यान्वयन करने के बारे में राष्ट्रीय परामर्श– कार्यनीतियां और भावी कार्रवाई

श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 29 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में शहरी मिशनों–पीएमएवाई (शहरी) के तेजी से कार्यान्वयन के बारे में एक दिन–भर की राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस कार्यशाला की अध्यक्षता की और इसमें राज्यों के प्रधान सचिवों (शहरी विकास), स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के राज्य मिशन निदेशकों, नगर आयुक्तों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों और नगर आयुक्तों अन्य अधिकारियों समेत लगभग 170 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्देश्य उनके द्वारा एएचपी और आईएसएसआर परियोजनाओं की योजना बनाते समय और उनका कार्यान्वयन करते समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुद्दों और समस्याओं को समझना और उन पर ध्यान देना, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही एएचपी और आईएसएसआर परियोजनाओं के सफल मॉडलों को सीखना, विकासशील किफायती आवास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एएचपी के लिए पीपीपी मॉडलों का कैसे उपयोग किया जाए, उस पर विचार–विमर्श करना और पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत एएचपी और आईएसएसआर घटकों में नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीखना था।

आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया गया:–

1. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थियों के पास वैध भूमि दस्तावेज (भूमि के पट्टों/भूमि स्वामित्व) हों, आवश्यक भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने की जरूरत है।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ले–आऊट अनुमोदनों और भवन–निर्माण अनुमतियों के लिए एक एकल–खिड़की समयबद्ध स्वीकृति प्रणाली को कार्यान्वित करना।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईएसएसआर के अंतर्गत स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के संबंध में उनके अपने–अपने मार्गदर्शक नक्शे साझा करना।
4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यूनतम पुनर्आबंटन से एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए आईएसएसआर घटक भूमि के मूल्य को बढ़ाकर के एक मॉडल बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना। आईएसएसआर परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए अतिरिक्त एफएआर और टीडीआर जैसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। आईएसएसआर परियोजनाओं में स्लमवासियों का पुनर्वास करते समय उनको किराया आवास प्रदान करें।
5. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास के संबंध में भूमि की उपलब्धता और कार्यान्वयन को सरल बनाने में मदद करने के लिए एक भूमि डेटाबेस तैयार करना है।
6. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए नए आठ पीपीपी मॉडलों से अपने–अपने राज्यों की नीतियों को अभिसरित और उनका समुचित रूप से उपयोग करना है।
7. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएलएसएस घटक को बढ़ावा देने के लिए नवीन कार्य नीतियों से ऊपर उठना है। सीएलएसएस (एमआईजी–। के लिए 120 वर्ग मीटर और एमआईजी–।। के लिए 150 वर्ग मीटर) में एमआईजी के बढ़े हुए कारपेट क्षेत्र से एमआईजी क्षेत्र में मांग में भारी वृद्धि हुई है। राज्यों को अध्यापकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस डिपो इत्यादि जैसी विशिष्ट श्रेणियों को लक्षित करना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सीएलएसएस घटक की प्रगति की निगरानी करने के लिए एसएलबीसी और डीएलबीसी से सहयोग करेंगे।
8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 16 वैकल्पिक नई आधुनिक, सुस्थिर, हरित और आपदा लचीली प्रौद्योगिकियों, जिनका पता लगाया गया है, को अपनाना है तथा सात प्रौद्योगिकियों के एसओआर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एएचपी और आईएसएसआर घटकों के अंतर्गत आवासों के लिए तेजी से और गुणवत्ता युक्त निर्माण हेतु इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
9. मंत्रालय द्वारा वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती–भारत, कार्यक्रम को शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि वैश्विक रूप से सामूहिक जन आवास के लिए उपयुक्त सबसे अच्छी प्रौद्योगिकियों का पता लगाया जा सके। इस चुनौती के माध्यम से विश्व–भर में सभी उद्यमियों, प्रौद्योगिकी प्रदायकों, संस्थाओं, विद्वतपरिषद् और अन्य हितधारकों को भारत के भावी आवास विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित किए जाने का लक्ष्य है। मंत्रालय का समुचित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के एक तरीके का पता लगाने और पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र/राज्य–व्यापी प्रदर्शन का आयोजन करने का भी प्रस्ताव है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति–शिक्षा में मदद करने के लिए गुजरात, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण किए गए थे, जिनमें आईएसएसआर और एएचपी घटकों ने अच्छा कार्य–निष्पादन दर्शाया है और वे राज्य परिदृश्य और नीति सहित प्रतिकृति–योग्य मॉडल हैं।

पीएमएवाई (यू) की प्रगति

दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, 57,652 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता और 2,03,575 करोड़ रू. के कुल निवेश से केन्द्र सरकार द्वारा 37,43,631 आवासों को सहमति प्रदान की गयी है। इसमें ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत 83,334 लाभार्थियों को ऋण सब्सिडी के प्रति संवितरित की गई 1,684 करोड़ रू. की राशि शामिल है।

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें

केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) पीएमएवाई (यू) के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसके अध्यक्ष हैं और अन्य संबंधित विभागों के सदस्य इसमें शामिल हैं। सीएसएमसी के मुख्य कार्यों में केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को स्वीकार करना, मिशन की समग्र पुनरीक्षा और निगरानी करना शामिल है।

अक्टूबर – दिसंबर, 2017 की तिमाही के दौरान, 3 सीएसएमसी की बैठकें आयोजित की गई थीं, जिसमें भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटकों के अंतर्गत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 1513 परियोजनाएं स्वीकार की गईं जिसमें 8,67,475 आवास शामिल हैं ।

उपर्युक्त स्वीकृत 8.67 लाख आवासों के लिए 12,943 करोड़ रू. का कुल केन्द्रीय अंश शामिल है।

29 नवंबर 2017 को आयोजित 28वीं बैठक

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत मध्य आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत कार्पेट क्षेत्र में वृद्धि

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नवंबर, 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के अंतर्गत सब्सिडी स्कीम के लिए पात्र आवासों के कार्पेट क्षेत्र में वृद्धि करने का अनुमोदन प्रदान किया।

स्कीम का क्षेत्र, कवरेज तथा पहुंच आगे और बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया :

i. सीएलएसएस की एमआईजी–। श्रेणी के लिए कार्पेट क्षेत्र को वर्तमान 90 वर्गमीटर से बढ़ाकर ''120 वर्गमीटर तक'' करना और सीएलएसएस की एमआईजी ।। श्रेणी के संबंध में कार्पेट क्षेत्र को वर्तमान 110 वर्गमीटर से बढ़ाकर ''150 वर्गमीटर तक'' करना; और

ii. उपर्युक्त परिवर्तन को 01.01.2017 से प्रभावी बनाना अर्थात् वह तारीख जब एमआईजी के लिए सीएलएसएस प्रभावी हुई थी।

एमआईजी के लिए सीएलएसएस शहरी आवास की कमी की चुनौतियों के संबंध में बहुत ही सक्रिय कदम रहा है। यह मध्यम आय वर्ग को ब्याज सब्सिडी स्कीम के लाभों को प्राप्त करने के लिए भी एक अग्रगामी कदम रहा है । इसमें एमआईजी में दो आय वर्ग हैं, अर्थात् 6,00,001 रू0 से 12,00,000 रू0 प्रति वर्ष (एमआईजी–।) और 12,00,001 रू0 से 18,00,000 रू0 प्रति वर्ष (एमआईजी–।।) । एमआईजी –। में, 9 लाख रू0 तक की ऋण धनराशि पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है जबकि एमआईजी –।। में 12 लाख रू0 की ऋण धनराशि के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है । ब्याज सब्सिडी की गणना 20 वर्ष की अवधि तक की ऋण अवधि अथवा वास्तविक अवधि, जो भी पहले हो, तक 9 प्रतिशत एनपीवी की दर से की जाएगी। 9 लाख रूपए (एमआईजी–।) और 12 लाख रूपए (एमाआईजी–।।) से अधिक का आवास ऋण गैर सब्सिडीकृत दरों पर होगा। एमआईजी के लिए सीएलएसएस वर्तमान में दिनांक 31.03.2019 तक प्रभावी है ।

मोबाइल एप ऑन अर्थक्वेक हेजार्ड मेप ऑफ इंडिया (एनडीएमए और बीएमटीपीसी का एक संयुक्त उपक्रम)

दिनांक 05 अक्टूबर, 2017 को विश्व हैबिटेट दिवस 2017 के दौरान, श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने श्री दुर्गाशंकर मिश्र, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की गौरवशाली उपस्थिति में भारत के भूकंप जोखिम मानचित्र पर एंड्रोइड और आईओएस आधारित एक मोबाइल एप लांच किया ।

बीएमटीपीसी द्वारा विकसित ''भारत के भूकंप जोखिम मानचित्र'' पर मोबाइल एप एंड्रॉइड और आईओएस प्रयोक्ताओं के लिए क्रमशः गूगल प्लेस्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है। भारत सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में यह मोबाइल एप विशेष रूप से पेशेवरों तथा सामान्यतः अन्य प्रयोक्ताओं के लिए देश में भूकंप जोनेशन के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने में सहायक होगा ।

सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार

सर्वोत्तम पद्धतियां

शहरी गरीब आवास प्रतियोगिता – 2017

शहरी विकास और आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने पीएमएवाई (यू) के कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने और समाज के सभी वर्गों के बीच शहरी गरीब आवास क्षेत्र में राज्य की पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए "शहरी गरीब आवास प्रतियोगिता – 2017" का शुभारम्भ किया है।

प्रतियोगिता का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए आवास क्षेत्र में शामिल बेहतर प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों को प्रोत्साहित करना और राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर आवास भी प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें सामयिक, प्रभावी और अभिनव तरीके से आवास मिशन को सक्रिय रूप से लागू करने के लिए किफायती आवास क्षेत्र में शामिल एजेंसियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

नागरिक भागीदारी प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। आवासीय मिशन के उद्देश्यों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के साथ ही प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी के महत्व को प्रभावी बनाने के लिए शामिल एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य पारंपरिक मीडिया चैनलों का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। सभी नागरिकों की उच्च स्तरीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है ।

प्रतियोगिता को मूल्यांकन के लिए 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है:

- सभी नगर निगम
- 50,000 से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय
- शेष शहरी स्थानीय निकाय
- प्रभाग स्तरीय
- जिला स्तरीय
- बैंक / एचएफसी

क्रियाविधि

प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में, यूएलबी / अन्य एजेंसियों का मूल्यांकन पीएमएवाई (यू) के मांग सर्वेक्षण और कार्यान्वयन की समग्र उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा। दूसरा चरण यूएलबी के लिए सीमित होगा, जिसमें यूएलबी को अपने शहर के हर योग्य नागरिक को मांग सर्वेक्षण के अनुसार सुरक्षित, रहने योग्य और किफायती आवास उपलब्ध कराने पर "सभी किफायती आश्रय / आवास वाले – आवास शहर" के रुप में घोषित किया जाएगा।

यूएलबी की रैंकिंग को मासिक आधार पर किया जाएगा ताकि उनके रैंकिंग में सुधार के लिए यूएलबी / अन्य एजेंसियों को मौका मिल सके।

गुजरात में अभिनव निष्पादन दृष्टिकोण

नवाचार	प्रभाव
सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसे राज्य स्तरीय वेब सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और लाभार्थी आवंटन प्रणाली (बीएएस)	यह आवासीय योजनाओं के लिए आंकड़ों की प्रचालन दक्षता, समयबद्ध ता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है और अधिक पारदर्शिता लाने में मदद करता है।
ऋण मेलाः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण मेला आयोजित किया जाता है जो बैंकों और लाभार्थियों के लिए मंच प्रदान करता है	सुनिश्चित वित्तीय समावेश, कम कागजी काम, एकल खिड़की प्रणाली, सरलीकृत और लघु प्रक्रिया
लाभार्थियों को आवास का आवंटन एकदम शुरुआत में किया जाता है। ड्रा द्वारा चयनित सफल लाभार्थियों से ही दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा जाता है।	इसने लाभार्थियों द्वारा अतिरिक्त गुणवत्ता जांच की व्यवस्था दी और स्व–वित्तपोषण स्कीम को संभव बनाया
समावेशी भूमि उपयोग योजनाः स्लम पुनर्वास और किफायती आवास के लिए निर्मित विशिष्ट विकास नियंत्रण विनियम।	स्लम पुनर्वास और किफायती आवास परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाया।
स्व–स्थाने पुनर्वासन परियोजनाओं के लिए लिखित सहमति का निरसन : स्व–स्थाने स्लम पुनर्वासन के लिए छूट दी गई है। अब ध्यान सामुदायिक संघटन और भागीदारी पर है।	लिखित सहमति से दूरी बनाने के परिणामस्वरूप स्लम निवासियों के संवर्धित और इच्छित भागीदारी में वृद्धि हुई।

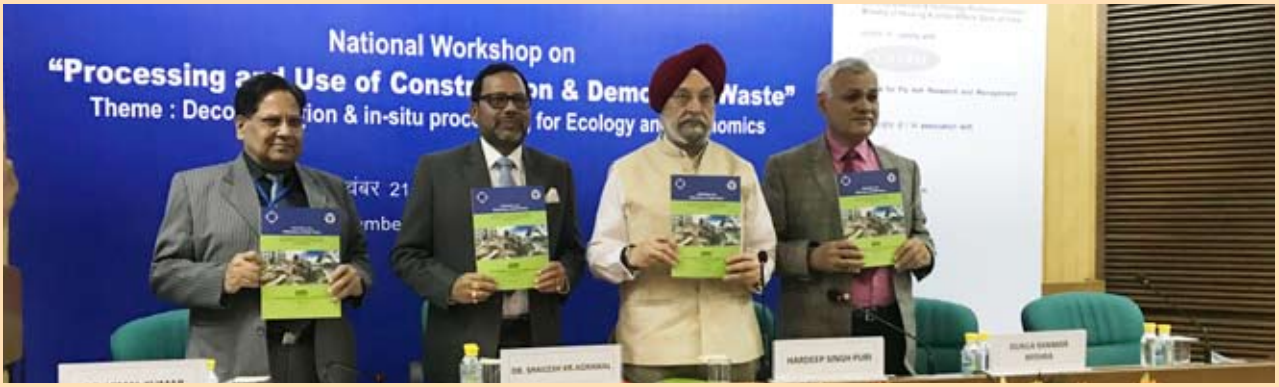

बीएमटीपीसी द्वारा 21 नवम्बर, 2017 को आयोजित ''निर्माण और डेमोलिशन अपशिष्ट के संसाधन और उपयोग'' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नई दिल्ली में 08 नवम्बर, 2017 को आयोजित '' प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास ऋण बढ़ाने'' संबंधी कार्यक्रम के दौरान श्री दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और श्री अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव एवं प्रबंधन निदेशक (एचएफए)

सफलता की कहानियां

श्रीमती पदमावती बिसवाल की आयु 80 वर्ष है। वह एक वृद्ध विधवा हैं। उसकी आय 1 लाख रूपए है। वह आरएमसी, वार्ड संख्या 8, बालीजोड़ी, राउरकेला, ओडिसा में एक कच्चे मकान में रहती हैं। उपयुक्त सत्यापन और वैधीकरण के पश्चात वह पीएमएवाई (यू) के बीएलसी घटक के अंतर्गत लाभार्थी बनी थी। उन्हें 25/12/2016 को कार्य करने का आदेश मिला था।

उन्होने प्रारंभ में अपनी ही धनराशि से मकान के निर्माण का कार्य प्रांरभ किया था। इसके बाद सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की गई थी।

अब, उन्होंने आवास घर में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया है। उनका कहना है ....."मैं पीएमएवाई और ओडिशा शहरी आवास मंत्री की आभारी हूँ। मेरी जैसी गरीब महिला को मेरे जीवन के इस स्तर पर मुझे पक्का मकान में रहने का अवसर मिला है।"

श्रीमती शैक कोवसर, पत्नी अब्दुल रशीद, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। 12 वर्षों से वह नांडयाल नगरपालिका क्षेत्र, कुरनूल, जिला, आंध्र प्रदेश में एसी शीट के एक पुराने घर में रहती थी। वह एक दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करती हैं और गुजर–बसर करने के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ता है। उसे अपने पांच सदस्यों के परिवार के लिए आजीविका अर्जित करनी पड़ती है। वर्तमान आश्रय से उसके परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं होती थी। दैनिक मजदूर के रूप में कार्य करते हुए, उसे पीएमएवाई के बारे में कुछ सूचना प्राप्त हुई थी, इस संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने तत्काल आवास के लिए आवेदन किया था। वर्ष 2015–16 के लिए पीएमएवाई (यू) – बीएलसी घटक के अंतर्गत उनका चयन किया गया और उसे मंजूरी आदेश जारी किया गया था।

उन्होंने मार्च, 2017 के पहले सप्ताह में अपने घर का निर्माण करना आरंभ कर दिया और भारत सरकार की 1.50 लाख रूपए की सहायता से और 1.00 लाख रुपए की आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से तथा अपनी स्वयं की बचत से जून, 2017 में निर्माण कार्य पूरा कर दिया। सभी (3) किस्तें राज्य के नोडल खाते से लाभार्थी के व्यक्तिगत खाते में आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली के माध्यम से जारी की गई थी।

श्रीमती कोसवर अब अपने पक्के मकान में अपने परिवार के साथ खुशी से रह रही हैं। उनके अपने शब्दों में ..... "मैं मेरे पक्का मकान के सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए दोनों सरकारों का आभार प्रकट करती हूँ।"

संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (सबके लिए आवास),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा न0 116, जी–विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011

दूरभाष: 011-23061419; Fax: 011-23061420
ई–मेल:jshfa-mhupa@gov.in
वेबसाईट: http://mohua.gov.in
www.facebook.com/pmayurban
twitter.com/PMAYUrban